



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्य आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS AND SERVICE TAX,
केरल क्षेत्र/ KERALA ZONE

केन्द्रीय राजस्व भवन, आई एस प्रेस रोड, कोचिन -682018
C.R.BUILDING, I.S.PRESS ROAD, COCHIN-682018

ई मेल /Email id : cccocchin@excise.nic.in

व्यापार सूचना / TRADE NOTICE 01/2014

दिनांक / Dated : 14.10.2014

विषय: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड में संवर्ग पुनः संरचना योजना का कार्यान्वयन - संबन्धित ।
Subject :- Implementation of Cadre Re-structuring Plan in CBEC – reg.

यह व्यापार के ध्यान में लाया जाता है कि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 15.10.2014 से प्रभावी विभाग के केडर पुनः संरचना को लागू करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार, तदनुसार, अधिसूचनाएं संख्याएं 27-29/2014-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी), 77-85/2014-सीमा शुल्क (एन टी) और 20-22/2014- सेवा कर सभी दिनांक 16.09.2014 जारी की है, जो विशिष्ट जानकारी के लिए निर्दिष्ट की जा सकती है।

It is brought to the attention of the Trade that the Central Board of Excise & Customs has decided to implement the Cadre Re-structuring Plan of the Department w.e.f.15.10.2014. Government of India has, accordingly, issued Notifications vide Nos.27-29/2014-Central Excise (N.T.),77-85/2014-Customs (N.T.) and 20-22/2014-Service Tax all dated 16.09.2014 which may be referred to for specific details.

2. उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन, केलिकट और त्रिवेन्द्रम या कथित आयुक्तालयों के मण्डल और रेंज कार्यालयों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में कोई बदलाव नहीं आया है, जबकि केरल क्षेत्र के भीतर, लेखा परीक्षा कार्यों पर, जो वर्तमान में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उपर्युक्त तीनों आयुक्तालयों द्वारा किया जाता है, अनन्य क्षेत्राधिकार के साथ एक नया आयुक्तालय का गठन किया गया है। नया लेखा परीक्षा आयुक्तालय का मुख्यालय कोच्चि में होगा। कोच्चि में मुख्यालय के अलावा, नया लेखा परीक्षा आयुक्तालय को कोईक्कोड और तिरुवनंतपुरम में स्थित दो सेरकिल कार्यालय भी होंगे।

In consequence of the above, while there is no change in the territorial jurisdiction of the Commissionerates of Central Excise, Cochin, Calicut and Trivandrum or of the Divisions and Ranges of the said Commissionerates, a new Commissionerate within the Kerala Zone with the exclusive jurisdiction over the audit functions presently being carried out by the above three Commissionerates of Central Excise has been formed. The Headquarters of the new Audit Commissionerate will be in Kochi. In addition to the Headquarters Office at Kochi, the new Audit Commissionerate will also have two Circle Offices located at Kozhikkode and Thiruvananthapuram.

3. इसके अलावा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के दो अतिरिक्त पदों को भी इस क्षेत्र के लिए मंजूर किया गया है। तदनुसार, क्षेत्र के भीतर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) -1, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) -2 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)-3 होंगे।

Further, two additional posts of Commissioner of Central Excise(Appeals) have also been sanctioned to this Zone. Accordingly, there shall be Commissioner of Central Excise(Appeals)-I, Commissioner of Central Excise (Appeals)-II and Commissioner of Central Excise (Appeals)-III within the Zone.

4. उपर्युक्त प्रस्तावित परिवर्तन 15 अक्टूबर, 2014 से प्रभाव में आ जाएगा।

The proposed changes above will come into effect from 15th October 2014.

{फाइल सी.सं. II/39/03/2013 CC(KZ) Pt.III से जारी}

{Issued from File C. No. II/39/03/2013 CC(KZ) Pt.III}

ह /-Sd/-

(अमित कुमार रॉय/AMIT KUMAR ROY)

मुख्य आयुक्त/CHIEF COMMISSIONER

//अनुप्रमाणित // ATTESTED//

{सुजा के.के./SUJA K.K.}

उप आयुक्त (मु.आ.का.)

DEPUTY COMMISSIONER(CCO)

सेवा में /To

प्रेषण सूची सं. 1 व 2 के अनुसार/ As per D.L.-No.1 & 2

40

Systems Manager for uploading in the website.